रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254363
CG-DL-E-27052024-254363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2006]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2024/ज्येष्ठ 6, 1946
No. 2006]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2024/JYAISHTHA 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

सं. 13/2024–25

विशयः विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.31 और आईटीसी एचएस 2022 अनुसूची I आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2105(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा एफटीपी 2023 और आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची I में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती हैः

(1) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.31 (I (ख) को निम्नानुसार पढ़ने हेतु संशोधित किया जाता है:

क्र.सं.	पुराने वस्तुओं की श्रेणियां	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
1(ख)	समय–समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 के तहत अधिसूचित सभी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं	प्रतिबंधित	(i) समय–समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 के तहत निर्धारित शर्तों के अध्यधीन प्रतिबंधित आयात प्राधिकार पत्र के तहत आयात योग्य (ii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपंजीकृत/गैर–अनुपालक अधिसूचित उत्पादों का आयात ''निषिद्ध'' है।

2. आईटीसी (एचएस) की आयात नीति, 2022 अनुसूची–I आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणियां के पैरा 2 (ग) को संशोधित किया गया है जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तुओं के लिए आयात नीति: समय–समय पर यथा संशोधित "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश" **2021** के तहत अधिसूचित सामान का आयात (नया और साथ ही पुराने, चाहे नवीनीकृत, मरम्मत या दुरूस्त किया गया हो या नहीं) निषिद्ध है जब तक कि वे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ पंजीकृत नहीं हैं और समय–समय पर यथा संशोधित बीआईएस द्वारा प्रकाशित 'लेबलिंग आवश्यकताओं' या विशिष्ट छूट पत्र पर राजपत्र अधिसूचना सा.आ. संख्या **1929 दिनांक 26.04.2023** के प्रावधानों के अनुसार, एक विशेष खेप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुपालन नहीं करते हैं। आयातक सीमा शुल्क पत्तनों तक पहुंचने वाले ऐसे प्रतिबंधित माल को फिर से निर्यात करेगा अन्यथा सीमा शुल्क अधिकारी उपयोग से परे माल को विकृत कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचित करते हुए माल को स्क्रैप के रूप में निपटान करेंगे।

(3) आईटीसी एचएस 2022 की आयात नीति (अनुसूची 1) के अध्याय 84 की नीतिगत शर्त सं. 2, अध्याय 85 की नीतिगत शर्त सं. 5 को संशोधित किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तुओं के लिए आयात नीति: समय–समय पर यथा संशोधित "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश" **2021** के तहत अधिसूचित वस्तु का आयात (नया और साथ ही पुराने, चाहे नवीनीकृत, मरम्मत या दुरूस्त किया गया हो या नहीं) निषिद्ध है जब तक कि वे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ पंजीकृत नहीं हैं और समय–समय पर यथा संशोधित बीआईएस द्वारा प्रकाशित 'लेबलिंग आवश्यकताओं' या विशिष्ट छूट पत्र पर राजपत्र अधिसूचना सा.आ. संख्या **1929 दिनांक 26.04.2023** के प्रावधानों के अनुसार, एक विशेष खेप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुपालन नहीं करते हैं। आयातक सीमा शुल्क पत्तनों तक पहुंचने वाले ऐसे प्रतिबंधित माल को फिर से निर्यात करेगा अन्यथा सीमा शुल्क अधिकारी उपयोग से परे माल को विकृत कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचित करते हुए माल को स्क्रैप के रूप में निपटान करेंगे।

(4) आईटीसी एचएस 2022 आयात नीति (अनुसूची I) के अध्याय 85 की नीतिगत शर्त सं. 7 और अध्याय 94 की नीतिगत शर्त सं. 1 को संशोधित किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" के तहत अधिसूचित एलईडी उत्पादों और एलईडी मॉड्यूल के लिए डीसी या एसी आपूर्ति किए गए नियंत्रण गियर के लिए, नमूना (नमूनों) को यादृच्छिक रूप से चयनित खेपों से यादृच्छिक आधार पर लिया जाएगा। उत्पाद पर लागू आईएस मानक से सीमित परिभाषित गैर–विनाशकारी सुरक्षा मापदंडों के परीक्षण के लिए

बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा, जैसा कि समय–समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी खेपों के लिए, सीमा शुल्क द्वारा केवल उन्हीं खेपों की निकासी की जाएगी जहां यादृच्छिक रूप से चयनित नमूने ने परिभाषित मापदंडों के लिए मानक की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। तथापि, यदि लिया गया नमूना मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसी खेप को वापस भेज दिया जाएगा या आयातक की लागत पर नष्ट कर दिया जाएगा।

अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति, 2023 का पैरा 2.31 (I (ख), आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणियों का पैरा 2 (ग) और आईटीसी एचएस 2022 आयात नीति (अनुसूची 1) का अध्याय 84 की नीतिगत शर्त सं. 2, अध्याय 85 की नीतिगत शर्त सं. 5 और 7 और अध्याय 94 की नीतिगत शर्त सं. 1 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2012 की बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2021 के रूप में पुनः अधिसूचना के प्रकाश में संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/39/एएम–13/पीसी–2[क]/भाग–II/ई–36652]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2024

No. 13 /2024-25

Subject: Amendment in Para 2.31 of the Foreign Trade Policy, 2023 and ITC HS 2022 Schedule 1 Import Policy - reg.

S.O. 2105(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development &Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies following amendments in FTP, 2023 and in Schedule-I of ITC (HS), 2022 as under with immediate effect:

(1) Para 2.31(I (b) of the Foreign Trade Policy, 2023 is amended to read as follows:

Sl. No.	Categories of Second-Hand Goods	Import Policy	Conditions, if any
1(b)	All electronics and IT Goods notified under the Electronics and IT Goods (Requirements of Compulsory Registration) Order, **2021** as amended from time to time.	Restricted	(i) Importable against a restricted import authorization, subject to conditions laid down under Electronics and IT Goods (Requirements of Compulsory Registration) Order, **2021** (as amended from time to time). (ii) Import of unregistered/non-compliant notified products as in Electronics and IT Goods (Requirements of Compulsory Registration) Order, **2021** (as amended from time to time) is "Prohibited"

(2) Para 2 (C) of the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2022 Schedule-I Import Policy is amended to read as follows:

(C) Import policy for electronics and IT Goods: "The import of Goods (new as well as second hand, whether or not refurbished, repaired or reconditioned) notified under the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, **2021**, as amended from time to time, is prohibited unless they are registered with the Bureau of Indian Standards (BIS) and comply to the 'Labelling Requirements' published by BIS, as amended from time to time', or on specific exemption letter from Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) for a particular consignment, as per provisions of Gazette Notification SO No. **1929 dated 26.04.2023**. The importer shall re-export such prohibited Goods reaching Customs Ports else the Customs Authorities shall deform the goods beyond use and dispose of the goods as scrap under intimation to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)."

(3) Policy condition no. 2 of chapter 84, Policy condition no. 5 of chapter 85 of Import Policy (schedule 1) ITC HS 2022 is amended to read as follows:

" Import policy for electronics and IT Goods: The import of Goods (new as well as second hand, whether or not refurbished, repaired or reconditioned) notified under the Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, **2021**, as amended from time to time, is prohibited unless they are registered with the Bureau of Indian Standards (BIS) and comply to the Labelling Requirements published by BIS, as amended from time to time, or on specific exemption letter from Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) for a particular consignment, as per provisions of Gazette Notification SO No. **1929 dated 26.04.2023.** The importer shall re-export such prohibited Goods reaching Customs Ports else the Customs Authorities shall deform the goods beyond use and dispose of the goods as scrap under intimation to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

(4) Policy condition no. 7 of Chapter 85 and Policy Condition no. 1 of chapter 94 of Import Policy (schedule 1) ITC HS 2022 is amended to read as follows:

"For the LED products and DC or AC supplied control gears for LED modules as notified under the "Electronics and Information Technology goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, **2021**", sample(s) will be picked up on random basis from the randomly selected consignments and will be sent to BIS recognized Labs for testing of limited defined non-destructive safety parameters from the IS standard applicable on the product, as identified by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) from time to time. Further, for such consignments, clearance would be given by Customs to only those consignments where the randomly selected sample has complied with the requirements of standard for the defined parameters. However, if the sample drawn fails to meet the requirements of standard, such consignment will be sent back or will be destroyed at the cost of importer."

Effect of the Notification: Para 2.31(I (b)) of the Foreign Trade Policy, 2023, Para 2 (C) of the General Notes regarding Import Policy and Policy conditions 2 of chapter 84, Policy Condition no. 5 & 7 of chapter 85 and Policy Condition no. 1 of chapter 94 of Import Policy (schedule 1) ITC HS 2022 have been amended in light of re-notification of "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012 as Electronics and Information Technology goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, **2021** under BIS Act 2016.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/39/AM-13/PC-2[A]/.Part-II/E-36652]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.27 21:56:53 +05'30'